

न्यायालय न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली
(कोटपूतली-बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :- ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र संख्या:- 170/2025

शशिकांत शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्या. मुख्य चि. एवं स्वा. अधिकारी, कोटपूतली-बहरोड़।

—आवेदक

बनाम

श्री नवीन कुमार यादव पुत्र श्री रामसिंह यादव, उम्र 30 वर्ष, (खाद्य कारोबारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता) निवासी बुराला की ढाणी, चांदवाली रोड़, वानसूर, कोटपूतली-बहरोड़, मैसर्स- मितांश मावा मिष्ठान भंडार चांदवाली, सेन्ट जेवियर स्कूल के पास वानसूर जिला कोटपूतली-बहरोड़।

—अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) (ii),/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय

दिनांक 24/12/25

- उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया है कि मैं शशिकांत शर्मा दिनांक 01.05.2025 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटपूतली-बहरोड़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा था मुझे खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जरिये राजस्थान राज-पत्र अधिसूचना दिनांक 25.07.2011 व 10.08.2011 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया है जिसमें क्रम संख्या 41 पर मेरा नाम अंकित है एवं खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी राजस्थान राज-पत्र अधिसूचना दिनांक 18.08.2011 द्वारा कार्य क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई हैं। आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 101 दिनांक 15.01.2025 द्वारा आवंटित कार्यक्षेत्र जिला कोटपूतली-बहरोड़ दिया है। सत्यापित छायाप्रति संलग्न है।
- यह है कि दिनांक 01.05.2025 को सांय 04:30 बजे मुस्तगीस बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त खाद्य पदार्थों की चौकिंग हेतु सामान नमूनीकरण बैग सहित जाँच दल के साथ मैसर्स मितांश मावा मिष्ठान भंडार, चांदवाली, सेन्ट जेवियर स्कूल के पास

वानसूर, जिला- कोटपूतली-बहरोड स्थित दुकान पर पहुँचा। उक्त समय उक्त स्थल पर विक्रेता श्री नवीन कुमार यादव पुत्र श्री रामसिंह यादव स्वयं मौजूद रहकर खाद्य पदार्थ मावा आमजन को विक्री वास्ते रखे हुए थे। मैने उक्त विक्रेता को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उनसे उनका नाम एवं पता पूछा जिस पर गवाहन श्री अशोक कुमार यादव एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती नेहा की उपस्थिति में विक्रेता द्वारा अपना नाम श्री नवीन कुमार यादव पुत्र श्री रामसिंह यादव, उम्र 30 वर्ष, निवासी बुराला की ढाणी, चांदवाली रोड, वानसूर, जिला-कोटपूतली-बहरोड का होना बताया एवं स्वयं को उक्त खाद्य कारोबार का विक्रेता होना बताया एवं मौके पर विक्रेता द्वारा स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मैने उक्त विक्रेता से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र नं० 22224011000186 होना पाया गया।

3. यह है कि उक्त स्थल का निरीक्षण करने पर निरीक्षण के दौरान दुकान पर रखे करीब 10 किलो Mawa डी फ्रीज में आमजन को विक्री वास्ते रखे में मिलावट का शक होने पर गवाहन श्री अशोक कुमार यादव एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती नेहा की उपस्थिति में विक्रेता श्री नवीन कुमार यादव पुत्र श्री रामसिंह यादव को जरिये फार्म नं. 5ए (जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वयं के हस्ताक्षर हैं) सूचित करते हुए उक्त Mawa में से 1 किलो Mawa वास्ते नमूना जाँच हेतु एक साफ सूखी एवं खाली स्टील के भगौने में क्रय किया। जिसकी कीमत विक्रेता को रु 260/- (अक्षरे दो सौ साठ रुपये मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वयं के हस्ताक्षर हैं। फार्म नं. 5ए एवं रसीद माल खरीद न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
4. यह है कि नमूना जांच हेतु क्रय किये गये 1 किलो Mawa को एकरूप कर विक्रेता एवं गवाहान को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा मावा को प्रत्येक बोतल में बराबर भरकर प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मलीन की 20-20 बूंद डालकर एयरटाइट ढक्कन बन्द किया।

लेवल तैयार कर उन पर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैने स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाकर प्रत्येक बोतल को अलग-अलग मोटे खाकी कागज में लपेटकर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक बोतल पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. AS-90 जो श्रीमान् डी. ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी कोटपूतली बहरोड द्वारा हस्ताक्षरित मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों बोतलों पर नीचे से उपर तक पूरे राउण्ड पर गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4-4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपड़ी कर प्रत्येक सील्ड नमूने पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये एवं गवाहन व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड नमूना भागो को अपने जाप्तों में लिया।


अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड)

5. यह है कि मौके पर की गयी कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे विक्रेता गवाहन को पढ़ाकर सुनाकर उनके हस्ताक्षर करवाये एवं मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
6. यह है कि कार्यालय में उपस्थित होकर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार कर उन पर सील इम्प्रेशन उसी सील का लगाया जिसके द्वारा मौके पर नमूना सील मोहर किया था। नमूने की एक सील्ड बोतल मय फार्म नं० 6 की प्रति के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं फार्म नं. 6 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर श्रीमान् खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर नमूना जमा रसीद एवं फार्म नं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
7. यह है कि नमूने की दो सील्ड बोतल (द्वितीय व तृतीय भाग) को मय फार्म नं० 6 की दो प्रतियों के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं नमूने की एक सील्ड बोतल (चतुर्थ भाग) मय फार्म नं० 6 की प्रति के श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी कोटपूतली-बहरोड़ को जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
8. यह है कि उक्त Mawa के नमूने की जांच रिपोर्ट उक्त विक्रेता को कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 48 दिनांक 22.05.2025 द्वारा भिजवायी गयी एवं मुझे जरिये श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी कोटपूतली बहरोड़ के उक्त पत्र की प्रतिलिपि के द्वारा प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना एफएसएसए के मानकों के अनुसार नहीं होने से अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट मय कवरिंग पत्र श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी कोटपूतली-बहरोड़ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
9. यह है कि मेरे द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटपूतली-बहरोड़ को वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पेश किये जिन्होंने प्रकरण के समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर एवं अध्ययन मनन कर अपने अभियोजन स्वीकृति पत्रांक 135/14.8.25 द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णयन आवेदन श्रीमान् के समक्ष पेश करने हेतु प्राधिकृत किया है। उक्त अभियोजन स्वीकृति पत्रांक न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
10. यह है कि उक्त अभियुक्त द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) Mawa की विक्री कर एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2) (1) एवं नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में वर्णित है। अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान् के समक्ष पेश कर निवेदन है कि उक्त अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित किया जावे।
11. आवेदक द्वारा प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तामिल हेतु नोटिस जारी किये गया बाद तामिल अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आकर जबाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी द्वारा जबाब में निवेदन किया गया कि नमूना जाँच हेतु लिया गया खाद्य पदार्थ अन्य से खरीद किया गया था जिसके कारण जाँच में

अवमानक पाया गया इसलिए कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करे।

12. पत्रावली पर पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ मावा का विक्रय कर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। अतः उक्त कृत्य के लिए अभियुक्तगण को अधिनियम की धारा 51 के तहत दण्डित किया जाना न्याय संगत प्रतित होता है। अतः अभियुक्त/अप्रार्थी श्री नवीन कुमार यादव पुत्र श्री रामसिंह यादव, उम्र 30 वर्ष, (खाद्य कारोवारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता) निवासी बुराला की ढाणी, चांदवाली रोड़, बानसूर, कोटपूतली-बहरोड़, मैसर्स- मितांश मावा मिष्ठान भंडार चांदुवाली, सेन्ट जेवियर स्कूल के पास बानसूर जिला कोटपूतली-बहरोड़ पर 25000/- (पच्चीस हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है, जो जरिये चालान एक माह के अन्दर बैंक में जमा कराकर रसीद चालान पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दपतर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 24.12.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।


अधीनस्थ निरीक्षक अधिकारी
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कोटपूतली